

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 2914

गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों में तकनीकी खराबी

2914. श्री इमरान मसूद:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ानों में तकनीकी खराबी के मामलों में वृद्धि का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ऐसी तकनीकी खराबी, इससे उड़ान में बार-बार होने वाली देरी और उड़ानों के रद्द होने के प्रघटन को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए / कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार हवाई किराए की ऊंची कीमतों का औचित्य किस प्रकार सिद्ध करेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) विमान परिचालन के दौरान तकनीकी खराबियां आ सकती हैं। यह विमान में लगे कलपुर्जों/ प्रणाली / सहायक उपकरणों के उचित रूप से काम न करने/खराब हो जाने के कारण हो सकता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय उड़ानों में आयी तकनीकी खराबी के मामलों की संख्या का विवरण अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

(ख) डीजीसीए ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के तहत विनियम निर्धारित किए हैं, जिनके अनुसार विमान का अनुरक्षण विनिर्माता और डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा विमान को उड़ान के लिए रिलीज करने से पहले उसमें रिपोर्ट की गई सभी तकनीकी खराबियों को ठीक कर लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, सीएआर 145 अनुरक्षण संगठन के अनुमोदन संबंधी अपेक्षाओं को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार संगठन के पास अनुरक्षित किए जाने वाले विमान के प्रकार और बेड़े के अनुरूप अपेक्षित जनशक्ति, उपकरण और साहित्यिक सामग्री होना अनिवार्य है। इस प्रणाली के अंतर्गत एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान निरंतर उड़ान-योग्य स्थिति में बना रहे तथा सभी तकनीकी खराबियों को ठीक कर दिया जाए।

डीजीसीए ने निगरानी, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी आदि करने के लिए एयरलाइनों/संगठनों और कार्मिकों का एक तंत्र निर्धारित किया है, ताकि यात्रियों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एयरलाइनों को टिप्पणियां/निष्कर्ष उपलब्ध कराए जा सकें।

सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू करने के लिए टिप्पणी पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जिसमें चेतावनी, निलंबन, रद्दकरण सहित संबंधित कार्मिक/एयरलाइन पर वित्तीय जुर्माना लगाना शामिल हो सकता है।

(ग) वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में विमान किराए में कमी आई है। विमान किराए सरकार के विनियमन के अधीन नहीं हैं और एयरलाइनों को वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर विमान किराए का निर्धारण करने की छूट है। यद्यपि सरकार आम तौर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए

रखने के लिए विमान किराए को विनियमित नहीं करती, तथापि वह सतर्क रहती है, और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्षमता हस्तांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करती है।

एयरलाइनों को युक्तिसंगत विमान किराए निर्धारित करने के लिए तथा यात्रियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए भी जागरूक किया गया है। उल्लेखनीय है कि त्यौहार सीजन के दौरान विभिन्न सेक्टरों में विमान किराए में कमी देखी गई।

एयरलाइनों के लिए अपनी वेबसाइट के होम पेज के प्रमुख स्थान पर टैरिफ शीट प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ मॉनीटरिंग इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके चयनित घरेलू सेक्टरों पर विमान किराए की औचक मॉनीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक विमान किराया न वसूलें।

अनुलग्नक

क्र.सं.	एयरलाइनें	2020	2021	2022	2023	2024 (दिनांक 27.11.2024 तक)
		तकनीकी खराबी की संख्या				
1	मेसर्स एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एलाइंस एअर)	1	4	3	6	5
2	मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)	297	286	472	115	118
3	मेसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड	147	170	143	150	23
4	मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड	54	71	64	62	66
5	मेसर्स विस्तारा	11	7	3	14	8
6	मेसर्स एअरइंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	-	-	23	23	26
7	मेसर्स एयर एशिया लिमिटेड	11	10	8	16	18
8	मेसर्स बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई बिग)	-	1	5	3	3
9	मेसर्स अकासा एयर	-	-	1	-	5
10	मेसर्स ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड	4	1	1	1	1
कुल तकनीकी खराबियाँ		525	550	723	390	273
वर्ष में कुल उड़ानें		549214	733881	997041	1194777	1069680
प्रति उड़ान खराबियों का प्रतिशत		0.0955	0.0749	0.0725	0.0326	0.0255